कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।

क्रमांक: अनु-4-5|ए/07/90 दिनांक 5.4.2007

कार्यालय आदेश

दिनांक 21.3.07 को विभाग की अनुदान मांगो एवं बजट की चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा सड़कों की गुणवत्ता के बारे मे चिन्ता व्यक्त की गई थी । अतः सड़क कार्यो के सम्पादन के अन्तर्गत प्रभावी गुणवत्ता एवं नियन्त्रण के लिए निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

1. अधीक्षण अभियन्ता सम्बन्धित माननीय सांसद महोदय एवं जिला प्रमुख से अनुरोध करेंगें और उनके साथ उनकी सुविधानुसार कार्यक्रम बनाकर 6 महीने में एक बार जहां पर भी वे जांच के लिए जाना चाहेंगें, सड़क पर जायेंगें एवं उनके सामने जांच करेंगें ।

2. अधिशाषी अभियन्ता सम्बन्धित माननीय विधायक एवं प्रधान महोदय से अनुरोध करेंगें तथा उनकी सुविधानुसार समय लेकर तीन महीने में पूरे एक दिन उनके साथ जहां जहां कहेंगें वहां जांच करेंगें एवं आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगें ।

3. सहायक अभियन्ता सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ दो महीने में एक बार जांच करेंगें ।

सभी अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता जांच के पश्चात् जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के माध्यम से 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगें ।

5/4/2007

मुख्य अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राज0 जयपुर

क्रमांक: प. 3 (1)/अनु-4-5|ए/07/डी-227 दिनांक : 5.4.2007

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राज0 जयपुर ।
2. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सम्भाग-समस्त ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत-समस्त ।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-समस्त ।
6. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड-समस्त ।
7. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता (पथ) सा.नि.वि.

5/4/07

अधीक्षण अभियन्ता एवं तक0 सहा0 प्रथम
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज0 जयपुर